महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15, बीकानेर (राज.)

VIII

प.7(112-3)MGSUB/Acad/2011/ 10522-621 Date : 2.7.11

विद्या परिषद की आठवीं बैठक का कार्यवाही विवरण

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 23–05–2011 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय के मीटिंग हॉल में माननीय कुलपति प्रो. गंगा राम जाखड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1.	प्रो. गंगा राम जाखड़	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. आर.के. वर्मा	–	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
3.	डॉ. विमलेन्दु तायल	–	अधिष्ठाता, विधि संकाय
4.	श्री एम.डी. गौरा	–	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय
5.	श्री मनीराम	–	अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान
6.	श्री एच.आर. इसरान	–	अधिष्ठाता, कला संकाय
7.	डॉ उमाकान्त ओझा	–	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
8.	डॉ. मीरा श्रीवास्तव	–	सदस्य
9.	डॉ. आशा गोस्वामी	–	सदस्य
10.	डॉ. आर.के. सॉंगवान	–	सदस्य
11.	डॉ. जी.पी. सिंह	–	सदस्य
12.	डॉ. बी.एल. जाटव	–	सदस्य
13.	डॉ. सतीश कौशिक	–	सदस्य
14.	डॉ. रचना माथुर	–	सदस्य
15.	डॉ. मधु अग्रवाल	–	सदस्य
16.	डॉ. वी.एन. सिंह	–	सदस्य
17.	डॉ. रविन्द्र मंगल	–	सदस्य
18.	डॉ. एम.एम. सक्सेना	–	सदस्य
19.	डॉ. कृष्णा राठौड़	–	सदस्य
20.	डॉ. मधुलिका	–	सदस्य
21.	डॉ. दुलीचंद	–	सदस्य
22.	डॉ. मोहम्मद हुसैन	–	सदस्य
23.	डॉ. सतीश गुप्ता	–	सदस्य
24.	डॉ. बजरंग सिंह राठौड़	–	सदस्य

निर्णय :– निरीक्षण दल द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप 22 महाविद्यालयों को सत्र 2010–11 में नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ करने के लिए प्रथम बार अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने एवं विभिन्न महाविद्यालयों को यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत कैरियर ऑरियेंटेड कोर्सेस के संचालन की स्वीकृति के निर्णय की सर्वसम्मति से पुष्टि करते हुए अनुमोदन किया गया।

4. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पाठ्यक्रम मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2011–12 के लिए तैयार किये पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किये :–

(1) जिन पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है, उन के संयोजक माह अगस्त, 2011 तक मॉडल प्रश्न–पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

(2) परीक्षा समाप्ति के 30 दिवस में छात्र द्वारा लघु शोध सम्बन्धित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी एवं आगामी 7 दिवस में महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में प्रेषित की जाएगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में लघु शोध प्राप्त न होने पर छात्र को अनुपस्थित दर्शा कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

(3) पाठ्यक्रमों में ऐसी पुस्तकों को सम्मिलित किया जाए जो स्थानीय बाजारों में उपलब्ध हो।

विद्या परिषद् में अध्यक्ष महोदय के सुझावों को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

क्र.स.	पाठ्यक्रम	निर्णय
1.	गणित	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अध्ययन मण्डल द्वारा बी.एससी. पार्ट प्रथम में अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी में उपलब्ध ऑप्सन को समाप्त करने के संबंध में अंकित नोट को अस्वीकार करते हुए विज्ञान संकाय के सभी विषयों के अध्ययन मण्डलों की सामूहिक बैठक आयोजित कर नोट के संबंध में अनुशंसा विद्या परिषद् की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय किया।
2.	कैमेस्ट्री, फार्मेस्यूटिकल कैमेस्ट्री एवं बायो कैमेस्ट्री	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3	बॉटनी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4.	जूलॉजी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5	भू विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से

		अनुमोदन किया गया।
6	भौतिक विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के नामकरण में परिवर्तन के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए 2010–11 में अनुमोदित पाठ्यक्रम को ही 2011–12 में लागू करने का निर्णय लिया गया।
7	द डिफेन्स एण्ड स्ट्रेटिजिक स्टीडीज	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8	बॉयोटेक्नोलोजी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9	माइक्रोबायोलोजी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
10	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
11.	इन्वॉयरमेन्ट विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही पर्यावरण विज्ञान अनिवार्य प्रश्न पत्र को समय 03 घण्टे के स्थान पर 02 घण्टे करने का निर्णण लिया गया।
12.	लोक प्रशासन	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
13.	गृह विज्ञान एवं फूड एण्ड न्यूट्रिशियन	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
14.	इतिहास	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही संयोजक द्वारा पाठ्यक्रम में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन नहीं होने का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।
15.	समाजशास्त्र	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
16.	राजनीति विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
17	अर्थशास्त्र	बैठक में समन्वयक उपस्थित नहीं होने के कारण अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम पर विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि समन्वयक से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जावें। परीक्षा स्कीम तथा पाठ्यक्रम में विशेष परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। यदि पाठ्यक्रम में 10% से अधिक परिवर्तन प्रस्तावित हो तो परीक्षा, 2011 का पाठ्यक्रम ही सत्र 2011–12 के लिए प्रभावी होगा। साथ ही स्नातक स्तर पर ग्रुप सिस्टम को समाप्त करते हुए ए या बी में से एक पेपर रखने हेतु अध्ययन मण्डल से प्रस्ताव प्राप्त किया जावें। उपरोक्त कार्यवाही पश्चात माननीय कुलपति महोदय को पाठ्यक्रम अनुमोदित करने

		हेतु अधिकृत किया गया।
18.	भूगोल	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए 2010–11 में अनुमोदित पाठ्यक्रम को ही 2011–12 में लागू करने का निर्णय लिया गया।
19.	जी.पी.इ.एम.	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
20.	ए.बी.एस.टी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
21.	ई.ए.एफ.एम.	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
22.	व्यावसायिक प्रबंधन एवं मैनेजमेंट	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
23.	विधि	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही संयोजक द्वारा पाठ्यक्रम में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन नहीं होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। चर्चा के दौरान एलएल.एम. में प्रस्तावित नॉन डाक्ट्रल रिसर्च को डेजरटेशन के साथ ही जोड़ कर डेजरटेशन के 70 अंक एवं वाईवा 30 अंक करने का निर्णय लिया गया। PG Diploma in Labour Law एवं Criminal Law में प्रायोगिक परीक्षा के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए 5 थ्योरी पेपर एवं एक डिजरटेशन रखने का निर्णय लिया गया।
24.	शिक्षा	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही स्नातक स्तर कला में एच्छिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
25.	शारीरिक शिक्षा	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
26.	हिन्दी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
27.	अंग्रेजी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
28.	संस्कृत	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
29.	उर्दू एवं परसियन	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
30.	संगीत	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
31.	पंजाबी	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
32.	राजस्थानी	बैठक में समन्वयक उपस्थित नहीं विचार–विमर्श के

		उपरान्त निर्णय लिया
33	मनोविज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए सत्र 2010–11 के पाठ्यक्रम को ही 2011–12 में लागू करने का निर्णय लिया गया।

जीवन विज्ञान एवं जैन विद्या, दर्शनशास्त्र तथा चित्रकला विषयों के अध्ययन मण्डलों की निर्धारित तिथि पर बैठक आयोजित नहीं होने के कारण पाठ्यक्रमों का निर्माण नहीं किया जा सका। अतः उक्त विषयों का परीक्षा–2011 हेतु अनुमोदित एवं प्रकाशित पाठ्यक्रम ही परीक्षा–2012 के लिए प्रभावी रखने का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

5. स्नातकोत्तर स्तर जैनोलॉजी विषय के पाठ्यक्रम के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

निर्णय :– माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित स्नातकोत्तर स्तर जैनोलॉजी विषय के पाठ्यक्रम की पुष्टि के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

6. विश्वविद्यालय समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 के कार्यवृत के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

निर्णय :– अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली उपाधियों की इस विश्वविद्यालय की उपाधियों से समकक्षता निर्धारित करने एवं इस विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता निर्धारित करने के लिए समकक्षता समिति की दिनांक 18.04.2011 को हुई बैठक के कार्यवृत को विद्या परिषद द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

7. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2011–12 को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

निर्णय :– राज्य सरकार द्वारा सत्र 2011–12 हेतु जारी प्रवेश नीति को इस विश्वविद्यालय में अंगीकार करने के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा जिन कक्षाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम बने हुए हैं उन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नियम मान्य होंगें तथा अन्य के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति–2011–12 को अंगीकार किया गया।

8. एम.फिल. प्राणीशास्त्र पाठ्यक्रम में 8 वैकल्पिक प्रश्न पत्रों के स्थान पर 2–2 वैकल्पिक प्रश्न पत्रों के समूह बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :

निर्णय :– विद्या परिषद की गत बैठक दिनांक 03.07.10 के निर्णय सं. 6 के अनुसार अध्ययन मण्डल द्वारा बैठक दिनांक 12.01.2011 में समीक्षा कर एम.फिल. प्राणीशास्त्र पाठ्यक्रम में 8 वैकल्पिक प्रश्न पत्रों को यथावत रखने के प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका विद्या परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

9 विभिन्न माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 04.01.10 का बिन्दु सं. 5) :–

स्पष्टीकरण :– समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 04.01.10 में उपरोक्त बिन्दु पर विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा उत्तीर्ण उच्च माध्यमिक परीक्षा के अतिरिक्त केवल उन्हीं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में संचालित स्नातक स्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र माना जाएगा, जिन बोर्डस की उच्च माध्यमिक परीक्षाओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के समान समकक्षता प्राप्त है। समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 04.01.2010 का कार्यवाही विवरण विद्या परिषद की बैठक दिनांक 03.07.10 के निर्णय सं. 9 के द्वारा यह कार्यवाही विवरण अनुमोदित कर दिया गया। तत्पश्चात् प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 26.07.2010 में विद्या परिषद की बैठक दिनांक 03.07.2010 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा (निर्णय सं. मगंसिविवी/बोम–12/2010/120 (अप)) समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 04.01.2010 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु सं. 5 को पुनः विचारार्थ विद्या परिषद की आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्णय की पालना में प्रस्ताव पुनः विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.07.2010 में लिए गए निर्णय को यथावत रखते हुए पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

10 स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत एम.फिल. (भौतिक शास्त्र) परीक्षा, 2008 में छात्र श्री श्याम सुन्दर पारीक को अपूर्ण उपस्थिति के बावजूद परीक्षा में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

स्पष्टीकरण :– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11.04.2011 व विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक 1725 दिनांक 21.04.11 के द्वारा डॉ. मनीष गोदारा, केसर कुँज, 27 वन विहार कॉलोनी, चूरू

द्वारा प्रस्तुत शिकायत की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय में प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत के अनुसार सत्र 2007–08 में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत संचालित एम. फिल. भौतिक शास्त्र पाठ्यक्रम का छात्र श्री श्याम सुन्दर पारीक पुत्र–देवीदत्त पारीक (अनुक्रमांक 20026) विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित हुआ, जबकि सम्पूर्ण सत्र में श्री पारीक की एम.फिल. कक्षाओं में केवल मात्र 3 दिन की उपस्थिति दर्ज है। श्री गोदारा द्वारा शिकायत के साथ संलग्न प्रपत्रों के अनुसार श्री श्याम सुन्दर पारीक माह अगस्त, 2007 से माह सितम्बर, 2008 तक आई.ए.एस.ई., सरदारशहर में व्याख्याता–भौतिक शास्त्र के पद पर कार्यरत थे। इसकी पुष्टि शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आई.ए.एस.ई., सरदारशहर से प्राप्त सूचना के द्वारा की है। उल्लेखनीय है कि छात्र श्री श्याम सुन्दर पारीक ने एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेष हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्वंय को कहीं भी नियोजित होना (Employeed) नहीं दर्शाया। समन्वयक, स्ववित्तपोषी योजना, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ने भी अपने पत्र क्रमांक 277 दिनांक 27.04.11 के द्वारा पुष्टि की है कि सम्पूर्ण सत्र में छात्र कक्षा में तीन बार ही उपस्थित रहा। कम उपस्थिति होने के बावजूद परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में समन्वयक, स्ववित्तपोषी योजना महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (प्रभारी अधिकारी) का कथन है कि सत्र 2007–08 में स्ववित्तपोषी योजना में एम.फिल पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार प्रारम्भ किया गया था। पर्याप्त स्टाफ नहीं होने एवं उपस्थिति रजिस्टर के स्थान पर प्राध्यापकों द्वारा उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) का संधारण करने के कारण कम उपस्थिति का प्रकरण विश्वविद्यालय में प्रेषित नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हो गया एवं एम.फिल. परीक्षा, 2008 उत्तीर्ण कर ली।

अतः छात्र श्री श्याम सुन्दर पारीक द्वारा कम उपस्थिति के बावजूद परीक्षा में प्रविष्ट होकर एम.फिल. परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने तथा अपने नियोजन के तथ्यों को छुपाकर विष्वविद्यालय को गुमराह करने के कारण श्री पारीक का एम.फिल. परीक्षा परिणाम/उपाधि निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त छात्र द्वारा प्रथम दृष्टया तथ्य छिपाने, एस.एफ.एस. एवं विश्वविद्यालय स्तर पर हुई लापरवाही तथा विधिक प्रक्रिया का विश्लेषण कर अनुशंसा प्रस्तुत करते हुए डॉ. विमलेन्दु तायल के संयोजन में विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाताओं की समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

टेबल एजेण्डा–

11(i). राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर में कार्यरत शिक्षकों को शोध निदेशक के रूप में मान्यता के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

स्पष्टीकरण :– पिछले लम्बे समय से राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर में कार्यरत योग्यताधारी शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा शोध निदेशक के रूप में मान्यता दिये जाने के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती रही है। उपरोक्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर को दिनांक 4 मार्च, 2011 को पत्र लिखकर संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं शैक्षणिक योग्यताओं के सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्ड प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। साथ ही स्वीकृत पदों की श्रेणी एवं उन पदों पर नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी। उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 01.04.2011 के द्वारा सूचना भेजते हुए लिखा है कि स्कूल शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को उनके अनुभव एवं तात्कालिक पद व वेतन के आधार पर राज्य सरकार अथवा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संस्थान में पदस्थापित किया जाता है।

वर्तमान में आई.ए.एस.ई., बीकानेर में पदस्थापित डॉ. अशोक मोदी व डॉ. (श्रीमती) सुदेश शर्मा को विश्वविद्यालय द्वारा शोध निदेशक के रूप में मान्यता दी हुई है और इनके सानिध्य में विद्यार्थी शोधरत हैं।

राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर में कार्यरत शिक्षकों को शोध निदेशक के रूप में मान्यता देने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था बीकानेर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय होने, प्राचार्य द्वारा प्रेषित सूचि के अनुसार डॉ. अशोक मोदी एवं डॉ (श्रीमती) सुदेश शर्मा स्थाई शिक्षक होने तथा शोध निदेशक हेतु वांछित उच्च शर्तों को पूर्ण करने के कारण उक्त दोनों शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा शोध पर्यवेक्षक बनाने के निर्णय की विद्या परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

11 (ii). यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत कैरियर ऑरियन्टेड पाठ्यक्रमों की परीक्षा सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा आयोजित कर विश्वविद्यालय प्राधिकारी एवं महाविद्यालय प्राचार्य दोनों के हस्ताक्षर सहित प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा जारी करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

स्पष्टीकरण :– विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त विभिन्न महाविद्यालयों में यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत विभिन्न प्रकार के कैरियर ऑरियेन्टेड पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन कैरियर ऑरियेन्टेड कोर्सेज के पाठ्यक्रम यू.जी.सी. के दिशा–निर्देशानुसार सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा तैयार करने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के कैरियर ऑरियेन्टेड कोर्सेज की परीक्षा सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा आयोजित कर प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा विश्वविद्यालय प्राधिकारी एवं महाविद्यालय प्राचार्य दोनों के हस्ताक्षर

सहित जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत कैरियर ऑरियन्टेड पाठ्यक्रमों की परीक्षा विश्वविद्यालय के नियंत्रण में ही आयोजित होनी चाहिए। इन परीक्षाओं को कराने हेतु महाविद्यालय को स्वतंत्रता प्रदान किया जाना उचित नही है। डॉ. आर.के. वर्मा, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय के संयोजन में यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत कैरियर ऑरियेन्टेड पाठ्यक्रमों की परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर कराने का निर्णय लिया गया।

11(iii). विश्वविद्यालय में नवीन शैक्षणिक विभाग संचालित करने के फलस्वरूप छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव :–

स्पष्टीकरण :– राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी व इतिहास विभाग एवं विज्ञान संकाय में पर्यावरण विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस व माइक्रोबायोलोजी विभागों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। आगामी सत्र 2011–12 से विश्वविद्यालय में इन विभागों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभागों में प्रवेश हेतु प्रस्तावित शुल्क का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव चर्चा करते हुए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया:–

Fee-Structure for Session 2011-12

(i) For M.A. (English & History) and M.Sc. (Environmental Science, Computer Science & Microbiology)

S.No.	Fee Description	For Girls (All Categories) (Rs.)	For SC/ST (Rs.)	For Others (Rs.)
1	Tution Fees	NIL	NIL	2000
2	Student Fund	150	150	150
3	Sport Facilities	100	100	100
4	Development Fees	1000	1000	1000
5	Library Fees	500	500	500
6	Insurance Fees	50	50	50
	Total	1800	1800	3800
	Addl. For Science Faculties			
4	Laboratory Fee	1000	1000	1000
5	Lab Development Fee	500	500	500
	Total	3300	3300	5300

* Refundable caution money of Rs. 500/- for M.A. and Rs. 1000/- for M.Sc. will be extra

वर्तमान में विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित एम.फिल. पाठ्यक्रमों का शुल्क निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

(ii) For M.Phil. (Hindi, English, Sanskrit, Political Science, Public Administration, History, Sociology, Economics, Education and Commerce) fees will be Rs. 13,000/- per annum. Refundable caution money of Rs. 500/- will be extra.

11(iv). स्नातकोत्तर स्तर विज्ञान संकाय में पर्यावरण विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

स्पष्टीकरण :– राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति अनुसार आगामी सत्र 2011–12 से विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण विज्ञान विषय का संचालन प्रारम्भ किया जाना है। सम्बन्धित अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत एम.एससी. पर्यावरण विज्ञान का पाठ्यक्रम विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– अध्ययन मण्डल द्वारा स्नातकोत्तर स्तर विज्ञान संकाय में पर्यावरण विज्ञान विषय का प्रस्तुत पाठ्यक्रम पूर्ण नही होने के कारण विद्या परिषद द्वारा पुनः अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम को स्वीकृत करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

11(v). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) रेग्युलेशन 2009 के अनुसार नेट उत्तीर्ण छात्रों को एम.फिल./पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

स्पष्टीकरण :– महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर के ऑर्डिनेन्स सं. 124–B के अनुसार एम.फिल./पीएच.डी. में प्रवेश हेतु नेट/सेट/ गेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस प्रवेश परीक्षा से छूट प्रदान की गई थी। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.1-1/2002(PS)/Exemp.Part file-III मार्च, 2011 द्वारा NET/JRF/SLET/GATE/M.Phil./Teacher Fellowship Holder उत्तीर्ण छात्रों के लिए भी पीएच. डी. में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है। तद्नुसार इस विष्वविद्यालय ऑर्डिनेन्स सं. 124–B में निम्नानुसार संशोधन हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–

Ord. 124 B Entrance Test & Examination

3. Permanent College/University teachers who fulfil the conditions for Teacher Research Fellowship (TRF) of UGC, and candidates qualified in NET/SET/GATE will be exempted from appearing in the Entrance Test and Interview, and will be given outright admission subject to availability of seats internal merit of such candidates will be drawn on the basis of marks in their post-graduate examination.
4. Candidates with M.Phil. degree in the subject concerned will also be exempted from appearing in the Entrance Test and Interview. However, their place in merit will ascertained on the basis of marks obtained at M.Phil. examination in equivalence to the total marks of Entrance Test and interview (330). For instance, if a candidate

secure 360 marks out of 400 marks in M.Phil. examination. his marks for the purpose of placing him on merit list will be calculated as below :

(360/400) x 330 = 297

Will be substituted as under :

Ord. 124 B Entrance Test & Examination

3. The students who have qualified UGC/CSIR (JRF) Exam./SLET/SET/GATE/Teachers Fellowship holder have also to appear for combined entrance test for M.Phil/Ph.D to get admission to M.Phil./Ph.D.

4. The students who have passed M.Phil. degree shall also have to appear for combined entrance test for Ph.D. to get admission to Ph.D.

निर्णय :– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार आर्डिनेश 124–B में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया गया।

11 (vi). विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित करवाई जाने वाली उपाधियों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के विभिन्न विषयों के नाम (अंग्रेजी एवं हिन्दी) अनुमोदित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

स्पष्टीकरण :– विश्वविद्यालय के वर्ष 2004 से वर्ष 2008 तक सफल परीक्षार्थियों को प्रदान की जाने वाली उपाधियों की निविदा प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है। स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए मुद्रित करवाई जाने वाली उपाधियों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के विभिन्न विषयों के नाम अंग्रेजी एवं हिन्दी में मुद्रित करवाये जाने हैं। इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा स्नातकोत्तर (निष्णात) कक्षाओं के विभिन्न विषयों के अंग्रेजी एवं हिन्दी में नाम संलग्न सूची अनुसार प्रस्तुत है, जो विद्या परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करते हुए विषयानुसार संबंधित समन्वयकों से विषयों के नाम (अंग्रेजी एवं हिन्दी) में निम्नुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया –

List Name of Subject English & Hindi

Master of Arts		
S.No.	Subject Name in English	Subject Name in Hindi
1	Drawing & Painting	चित्रकला
2	Economics	अर्थशास्त्र
3	English	अंग्रेजी
4	Geography	भूगोल
5	History	इतिहास
6	Hindi	हिन्दी
7	Mahtematics	गणित
8	Public Administration	लोक प्रशासन
9	Political Science	राजनीति विज्ञान
10	Philosophy	दर्शनशास्त्र
11	Rajasthani	राजस्थानी

12	Sanskrit	संस्कृत
13	Sociology	समाजशास्त्र
14	Urdu	उर्दू

Master of Science		
S.No.	Subject Name in English	Subject Name in Hindi
1	Botany	वनस्पतिशास्त्र
2	Biotechnology	जैवप्रौद्योगिकी
3	Chemistry	रसायनभाास्त्र
4	Computer Science	कम्प्यूटर विज्ञान
5	Geology	भूविज्ञान
6	Mathematics	गणित
7	Microbiology	सूक्ष्मजीवविज्ञान
8	Physics	भौतिकशास्त्र
9	Zoology	प्राणिशास्त्र

Master of Commerce		
S.No.	Subject Name in English	Subject Name in Hindi
1	Accountancy & Business Statistics	लेखाकर्म एवं व्यावसायिक सांख्यिकी
2	Business Administration	व्यावसायिक प्रशासन
3	Economic Administration and Financial Management	आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रवन्ध

11(vii). सत्र 2011–12 से स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर Master of International Business दो वर्षीय पाठ्यक्रम एवं PG Diploma in Small Scale & Agro Industries एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

स्पष्टीकरण :– बीकानेर सम्भाग में खाद्य प्रसंस्करणों, खनिज पदार्थों, कृषि व पशुधन उत्पादों के आयात–निर्यात एवं लघु व कृषि आधारित उद्योगों की प्रचुर संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में उक्त उत्पादों का राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में भी बड़ी मात्रा में व्यवसाय हो रहा है तथा भविष्य में उत्तरोत्तर विकास की संभावना है। क्षेत्रीय संभावनाओं के आधार पर ही केन्द्र सरकार द्वारा बीकानेर में फूड पार्क निर्माण की योजना प्रस्तावित है, जिसके क्रियान्वयन पश्चात् खाद्य प्रसंस्करणों का प्रचुर मात्रा में आयात–निर्यात होना सुनिश्चित है।

बीकानेर सम्भाग में उक्त उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं लघु व कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र में वाणिज्य स्नातक छात्रों में उद्यमिता विकास एवं स्व–रोजगार अभिवृद्धि की दृष्टि से उपरोक्त दोनों रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों का विश्वविद्यालय द्वारा संचालन किया जाना उपयुक्त है। अतः आगामी सत्र में स्ववित्तपोशी योजनान्तर्गत Master of International Business एवं PG Diploma in Small Scale & Agro Industries पाठ्यक्रमों को संचालित करने का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– सत्र 2011–12 से स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर Master of International Business दो वर्षीय पाठ्यक्रम एवं PG Diploma in Small Scale & Agro Industries एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।